

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 01.03.2026

45 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व लगभग ½ किलो यूरिया, ½ किलो नौसादर के साथ 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन /भंडारण व निष्कर्षण पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा व आबकारी निरीक्षक अर्पित शुक्ला के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 45 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व लगभग ½ किलो यूरिया, ½ किलो नौसादर के साथ अभियुक्ता माया को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 274 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

माया पत्नी स्व0 गुलाब निवासी सरैया टोला पहाड़ी लाइन थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 73/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 274 बीएनएस थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी-

कुल 45 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, ½ किलो यूरिया, ½ किलो नौसादर

गिरफ्तार की टीम –

1. निरीक्षक अर्पित शुक्ला आबकारी निरीक्षक क्षेत्र चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 शिव कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 मनीष श्रीवास्तव, थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 वीरेंद्र तिवारी, थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
5. हे0का0 विकास कुमार, थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
6. म0उ0नि0 पम्मी यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
7. आरक्षी कांस्टेबल फैजल खान आबकारी क्षेत्र चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
8. आरक्षी कृष्ण मुरारी, आबकारी क्षेत्र चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
9. आरक्षी अशोक कुमार आबकारी क्षेत्र चौरी चौरा जनपद गोरखपुर